न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा (धौलपुर)

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश कुमार मीणा आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर : 51/08

उनवानी प्रकरण : श्रीमती भगवान देई पुत्री छिद्दा पत्नी गोपाल सिंह कौम बघेला निवासी घेर बिल्हेरा, हाल निवासी हरिलाल का पुरा तहसील बाह, जिला आगरा। ------ वादिया

बनाम

1- रामदास पुत्र तेजासिंह जाति बघेला निवासी घेर बिल्हेरा तह० राजाखेड़ा

2- मातादीन पुत्र छिद्दा उर्फ पिद्दी कौम बघेला निवासी घेर बिल्हेरा तहसील राजाखेड़ा

3- मुन्नालाल पुत्र हेतराम कौम निषाद निवासी चिन्तामन की गढ़ी तहसील राजाखेड़ा

4- धौलपुर सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड शाखा राजाखेड़ा जरिये प्रबन्धक।

5- तहसीलदार राजाखेड़ा बहैसियत लैण्ड होल्डर

---- प्रतिवादीगण

दावा स्वत्व घोषणा, कुर्सी इन्द्राज मय स्थायी निषेधाज्ञा, बटवारा काश्त

उपस्थिति :- 1- श्री अश्विनी कुमार जैन वकील वादिया

2- श्री विमल कुमार शर्मा, एड. वकील प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :- 13-6-2019

वादिया द्वारा यह वाद इस न्यायालय मे अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 व 54 RTA के तहत इस न्यायालय मे पेश किया है कि विवादित आराजी ख० नं० 433/651 रकबा 04 बीघा 03 बि० वाकिजन 761 मि० स्थित ग्राम कॉटर कुरा तहसील राजाखेड़ा मे वादिया 1/4 हिस्से की संयुक्त खातेदार काश्तकार व काबिज काश्त है एवं वर्तमान मे भी काबिज है। प्रतिवादी सं० 1 व 2 वादिया के परिवार के है तथा प्रतिवादी सं० 3 अजनबी क्रेता है। शिजरा के अनुसार वादिया के पूर्वज हरिकिशन के जोकार हो अर्क हो 3 नर्क

क्रमशः----2

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

दो पुत्र छिद्दा उर्फ छिद्दी तथा तेजासिंह हुए। दोनों फौत हो चुके हैं। छिद्दा के भगवान देई (वादिया) एवं पुत्र मातादीन दो सन्तान हैं। तेजासिंह के बैकुन्ठी बेवा जो फौत हो चुकी है तथा पुत्र रामदास है। वादिया के पिता छिद्दा उर्फ छिद्दी करीब 40 वर्ष पूर्व फौत हो चुके हैं। मृतक के नजदीकी जायज वारिसान कानून तर्का मुताबिक एक-एक हिस्सा वादिया एवं प्रतिवादी सं. 2 हुए हैं और उनकी मृत्यु के बाद आराजी संयुक्त रूप से काबिज काश्त है एवं अपने अपने हक हिस्से का खाज नहीं किये हैं। दावा दायरी से 6 माह पूर्व वादिया जब अपने हिस्से के खेत को जुतवाने गांव पहुंची तो वहां प्रतिवादी संख्या-3 मौके पर आ गया और बोला कि उसने तेरे भाई से 1/2 भाग जरिये बयनामा रजिस्टर्ड क्रय कर लिया है। आइन्दा खेत पर मत आना। वरना हाथ पैर तोड़ देंगे। इस प्रकार के अवैध बेचान से वादिया के हक हकूक समाप्त नहीं हो सकते हैं। मातादीन को 1/4 हिस्से तक ही बेचान करने का अधिकार था। तत्पश्चात वादिया ने नकलात प्राप्त की तो उसे पता चला कि तो ~~वा~~ वादिया के पिता की मृत्यु के बाद राजस्व रिकार्ड में वादिया के नाम के इन्द्राजात नहीं किये गये, यह कार्यवाही अवैध व गैर कानूनी है। वादिया ने जब प्रतिवादीगणों से बाहमी तौर पर गलत इन्द्राजात की दुरुस्ती कराने विवादित आराजी का बंटवारा कर खाता एवं लगान पृथक कराने को कहा तो समस्त प्रतिवादीगण इन्कारी हो गये, और वादिया को आराजी से बेदखल करने की धमकी दी। इसी कारण वादिया द्वारा जाहिर होकर अपने हकूक की सुरक्षा हेतु दावा पेश किया है। मु. बैकुन्ठी करीब 2 वर्ष पूर्व फौत हो चुकी है, मृतक का एकमात्र वारिस ~~वादिया~~ है प्रतिवादी संख्या 1 है। दावा के अन्त में वादिया द्वारा दावा डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया है।

दावा वादिया दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 2, न्यायालय बावजूद सूचना उप. नहीं आया अतः उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी सं. 1, 3 व 4 अपने अभिभाषक के समक्ष न्यायालय में उपस्थित आये एवं उनके द्वारा जवाब दावा पेश किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब में वाद पत्र के कथनों से सामान्य रूप से इन्कार करते हुए कथन किया है कि वादिया छिद्दा की पुत्री नहीं है। न ही खातेदार काश्तकार है एवं न ही आराजी कभी भी वादिया काबिज

[signature]
उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

पृष्ठ-3

रहा है एवं न ही वर्तमान में है। वादिया का विवादित आराजी पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है। प्रतिवादी सं-2 विवादित आराजी पर आधिपत्य कानूनी रूप रखता था। उसने अपने 1/2 भाग को कानूनी वारिस की हैसियत से प्रतिवादी सं- 3 को दिनांक 24/5/2007 को जरिये बयनामा रजिस्टर्ड विक्रय कर दिया तथा बयनामा का प्रतिवादी सं. 3 के नाम नामान्तरकरण हो चुका है तथा मौके पर प्रतिवादी सं. 3 अपने 1/2 हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। बयनामा निरस्त कराये बिना वादिया का वाद पुष्ट नहीं हो सकता है। वादिया का वाद असत्य एवं कूटरचित है। वादिया को प्रतिवादी सं. 2 ने [illegible] तैयार किया है। वादिया से आज तक इसकी कोई बातचीत नहीं हुई है। इस प्रकार वादिया का छिद्दू उर्फ छिद्दी से कोई रक्त का सम्बन्ध नहीं है। वादिया छिद्दा की लड़की नहीं है बल्कि वादिया का पिता हीरालाल है व माँ का नाम रतनदेई उर्फ अंगनदेई है। छिद्दा व रतनदेई आपस में पति पत्नी थे। उनके संसर्ग से दो पुत्र मातादीन व महाराजसिंह पैदा हुए। महाराजसिंह अविवाहित रूप से पानी में डूबकर मर गया। करीब 50 वर्ष पूर्व छिद्दा का निधन हो गया है छिद्दू व रतनदेई के दो ही सन्ताने पैदा हुई दोनों ही पुत्र थे पुत्री कोई नहीं थी। हीरालाल व सोना आपस में पति पत्नी थे जो ग्राम धन्नापुरा, तहसील पिनाहट उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे सोना का निधन हो गया था। छिद्दा व हीरालाल के परिवार सजातीय थे समाज में धरेजा प्रथा थी इसलिए इसलिए रतनदेई जो कि छिद्दा की वेवा यौवनावस्था में हो गयी थी उसका धरेजा हीरालाल के साथ करा दिया था। हीरालाल व रतनदेई के संसर्ग से वादिया भगवान देवी का जन्म ग्राम धन्नापुरा तहसील पिनाहट में हुआ लालन पालन व विवाह धन्नापुरा से हुआ। वादिया व उसकी माँ का प्रतिवादी सं-1 व 2 के परिवार से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहा इस प्रकार वादिया का छिद्दा से कोई सम्बन्ध रक्त का नहीं है। उसका असली पिता हीरालाल है जिसका निधन सन 2006 में हो चुका है। रतनदेई का निधन 30-35 वर्ष पूर्व हो गया था। इसलिए वादिया का वाद पोषणीय नहीं है। जब प्रतिवादी सं. 2 ने आराजी विक्रय कर दी तब ही वादिया ने अपने हित प्रकट किये उसने न तो कभी तहसील को कहा और न ही लगान बाबत पूछा। रतनदेई ने अपने जीवन काल में विवादित आराजी पर कोई आक्षेप नहीं किया है जब कि छिद्दा की मृत्यु के बाद यदि आक्षेप होता तो प्रति सं 2, वादिया एवं उसकी माँ 1/6, 1/6, 1/6 के वारिसान होते, पर कि ऐसा नहीं हुआ

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

क्रमशः—4

इस प्रकार यह वाद कुरसीनामे पर प्रस्तुत किया है एवं मियाद बाहर है इसलिए दावा पोषणीय नहीं है इसलिए दावा खारिज किया जावे। प्रतिवादी संख्या-5 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा में दावा के कथनों को स्वीकार करते हुए आपने हिस्सा की रक्षा हेतु निवेदन किया।

तदुपरान्त प्रकरण में दिनांक 30/7/12 को निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गयी:—

1— आया विवादित आराजी में वादिया 1/5 भाग की वारिसान काबिज है अतः उसे विवादित आराजी का विभाजन कराने का अधिकार है। ——— वादी

2— आया कि आराजी मालिक में वादिया के पिता की सहवारिसदारी काश्त एवं कब्जे की थी। अतः वह मुताबिक H.S. Act अपने भाई भागचंद के साथ हिस्सा बराबर की सहवारिसदार हुई। ——— वादी

3— आया वादिया हिन्दू उत्तराधिकार की पुत्री न होकर हीरालाल की पत्नी है अतः वह विवादित आराजी में किसी प्रकार का हक हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। ——— वादी

4— आया वाद पत्र वादिया कुरसीनामे पर आधारित है एवं मियाद बाहर है। अतः पोषणीय नहीं है। ——— प्रति०

5— आया विवादग्रस्त आराजी प्रतिवादीस. 5 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 एवं से रहन की है। ——— प्रति०

6— अनुतोष

साक्ष्य वादिया में दस्तावेजी साक्ष्य में मिलान खेतफल प्रदर्श-1, नकल जमाबन्दी सं. 2018 प्रदर्श-2, नकल जमाबन्दी सं. वर्ष-2005 प्रदर्श-3, एवं प्रमाण पत्र उपसरपंच ग्राम पंचायत बाजूना प्रदर्श-4 पेश किये गये हैं। तथा मौखिक साक्ष्य में बयान भगवान देई PW-1, बयान रामनिवास PW-2 कराये गये हैं।

साक्ष्य प्रतिवादी में दस्तावेजी साक्ष्य में शपथ पत्र रामदास, मुन्नालाल एवं चन्दन सिंह पेश किये हैं तथा मौखिक साक्ष्य में बयान रामप्रकाश DW-1, बयान मुन्नालाल DW-2 एवं

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

एवं बयान-चन्दनसिंह DW-3 कराये गये है।

बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गयी।

वकील वादिया द्वारा अपनी बहस में अपने वादपत्र के समस्त कथनों को दोहराया तथा वादिया भगवानदेई को हिंड्डा उर्फ हिंड्डी की पुत्री होना जाहिर बताते हुए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विवादित आराजी में 1/5 हिस्सा होना बताया तथा, दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर दावा पूरी तरह साबित होना बताते हुए दावा डिग्री किये जाने बाबत निवेदन किया। आपने कथन के समर्थन में उनके द्वारा DNJ-2000 पृष्ठ 166, RBJ-2008 पृष्ठ 226, RBJ-1997, पृष्ठ-77, RRD 1977 पृष्ठ 232 की कानूनी नजीरे पेश की

वकील प्रतिवादीगण द्वारा अपनी बहस में अपने जवाब दावा के समस्त कथनों को दोहराया एवं कथन किया कि भगवानदेई हिंड्डा की बेटी नहीं है। हिंड्डा का देहान्त 50 वर्ष पूर्व हो चुका है। रतनदेई देई हिंड्डा की पत्नी थी वह, हिंड्डा की मृत्यु के बाद हीरालाल के साथ रहने लगी थी। हीरालाल के साथ धरेजा हुआ था। जमाबन्दी में हिंड्डा का नाम था। हिंड्डा की विरासत मातादीन के नाम आई है जो दस्तावेज कोर्ट में पेश नहीं किया गया है भगवानदेई की उम्र 50 वर्ष है इसलिए भगवानदेई हिंड्डा की लड़की नहीं हो सकती है। विवादित जमीन पर मातादीन का कब्जा था, भगवानदेई का नहीं था। इस प्रकार भगवानदेई हिंड्डा की लड़की नहीं है और न ही उसका कब्जा कभी विवादित आराजी पर रहा है। इसलिए दावा साबित नहीं होता है। मय खर्चा डिस्मिस किया जावे। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने RLR 1997(1) P-31, AIR 80 P-55, RRT 2007 (1) P 733, RRT 2015 (2) पृष्ठ 1124, RRD-2012, पृष्ठ 255, RRJ-2014, पृष्ठ-1142, RRT 2014(1) पृष्ठ 377, RRT 2014, (2) पृष्ठ 695, RRT 2008 (1) पृष्ठ 301, RRT 2012 (1) पृष्ठ 287, RRT 2012, पृष्ठ 693 एवं RRT 2011 (2) पृष्ठ 741 की कानूनी नजीरे पेश की है।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर गौर किया। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से है:-

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

(6)

तनकी नम्बर: 1 :- इस तनकी को साबित करने का भार वादिया पर है। वादिया अपने वादपत्र के समर्थन में प्रदर्श 1,2,3,4 दस्तावेजी साक्ष्य पेश की है। दावा में वादिया ने स्वयं को हिरा उर्फ हिरी की लड़की बताते हुए स्वयं को 1/4 हिस्से का वारिस बताया है। प्रदर्श-1 जिल्द बंदोबस्त से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी ख. 443/164 रकबा 4 बीघा 03 बिस्वा का खाता नम्बर 76। जिन रकबा 5 बीघा का नकल जमाबन्दी सं. 2018 में विवादित आराजी काश्तकार हिरा उर्फ हिरीलाल तेजसिंह थे। जिससे यह साबित है कि विवादित आराजी पैतृक है। यदि वादिया भगवान देई यदि हिरा की पुत्री है तो वह हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विवादित आराजी पर हिरा के 1/2 हिस्से की वारिसदार होगी। प्रदर्श-3 जमाबन्दी वर्ष 2005 में विवादित आराजी ख.न. 433/164 पर तेजसिंह वल्द तेजसिंह व रामदास पुत्र तेजसिंह हि. 1/2 व मातादीन पुत्र हिरा 1/2 के वारिसदार दर्ज है। इनके मध्य का कोई रिकार्ड वादिया द्वारा प्रस्तुत नहीं किया है। जिस नामान्तकरण से विवादित को हिरा की विरासत मातादीन पुत्र के नाम से खोली गयी है उसे भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे यह पता नहीं लग रहा है कि विरासत कब खोली गयी है। यदि वादिया हिरा की पुत्री है तो उसे समय उक्त नामान्तकरण के विरुद्ध अपील करनी चाहिये थी। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब में वादिया को हिरा उर्फ हिरी की पुत्री नहीं बताया है तथा यह कहा है कि यह हिरा की पत्नी रतन देई की पुत्री है लेकिन रतन देई हीरालाल के साथ धरेजा में बैठ गयी थी तब हीरालाल से पैदा हुई है। तथा हिरा की मृत्यु के उपरान्त भगवान देई का जन्म हुआ है इस तथ्य को। प्रतिवादी संख्या 1 रामदास ने अपने अपने आपल बताया है कि भगवान देई हिरा की पुत्री नहीं है बल्कि हीरालाल की है। भगवान देई ने अपने बयान में अपनी उम्र 40 वर्ष बताई है तथा अपनी शादी को हुए 20-25-30 वर्ष करीब होना बताया है। इससे यह पता चलता है कि विवाह के समय वादिया की उम्र बयान देने के समय होती है।। हिरा का 40 वर्ष पूर्व फौत होना दावा में बताया है। जबकि बयान दावा के करीब 8 वर्ष बाद लिये गये है। इससे यह स्पष्ट पता चलता है कि वादिया का जन्म हिरा की मृत्यु के पश्चात हुआ है एवं वादिया हिरा की पुत्री नहीं है। रतन देई की है।। हिरा के सम्बन्ध में भी वादिया ने स्पष्ट जवाब न देते हुए गोल मोल जवाब दिया है जिससे यह प्रकट होता है कि रतन देई की ये आखिर हुई थी

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 2 मातादीन ने न्यायालय में उपस्थित आकर अपना जवाब पेश नहीं की है एवं न ही कोई सबूत दिया है कि वादिया भगवान देई उसकी सगी बहन है अथवा नहीं जब कि मातादीन सम्पूर्ण हि० जरिये बिक्रय पत्र प्रतिवादी सं० 3 मुन्नालाल को बेचान किया है एवं राजस्व रिकार्ड में उसके नाम का इन्द्राज भी हो रहा है। जिससे यह भी आशंका है कि पहले तो मातादीन ने सम्पूर्ण हिस्सा बेचान किया है फिर वादिया से दुरभि संधि करके यह दावा करवा दिया है। जो सद्भावी नहीं है। वादिया द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श-4 प्रमाण पत्र जो कि उपसरपंच का है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं माना जा सकता है। उपसरपंच ने यदि इसे जारी किया है तो उसको बतौर गवाह न्यायालय में उप० आकर बयान नहीं दिया है तथा प्रमाण पत्र में मातादीन एवं भगवान देई को भाई बहन तो बताया है लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि आपस में सगे भाई बहन है या नहीं। सौतेले भी हो सकते हैं। वादिया द्वारा मौके पर अपना कब्जा साबित करने बाबत भी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार मौके पर प्रतिवादी सं० 3 व उसी का कब्जा पाया गया है। प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य से भी इसकी पुष्टि पायी गयी है। इस प्रकार वादिया स्वयं को हिस्सा अर्थ डिक्री की पात्र साबित करने में असफल रही है तथा कब्जा भी मौके पर वादिया का साबित नहीं होता है। RRT 2014(1) पृष्ठ 377 की कानूनी नजीर के अनुसार, घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा के लि० कब्जा की अनुपस्थिति में अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। RRT-2014(2) पृष्ठ 134 के अनुसार मौखिक साक्ष्य के आधार पर वाद डिक्री नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार यह तनकी विरुद्ध वादिया व हक प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नम्बर-2 तनकी नम्बर 1 के विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादिया स्वयं को अपने साबित किया हिस्सा अर्थ डिक्री की पात्र साबित करने में सफल नहीं रही है। इसलिए उसके मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से हिस्सा की आराजी में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं न ही वह मातादीन के साथ विवादित आराजी में सहखातेदार पायी जाती है। यह तनकी भी बहक प्रतिवादीगण विरुद्ध वादिया तय की जाती है।

तनकी नम्बर-3: इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। तनकी नम्बर एक के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वादिया हिस्सा अर्थ डिक्री की पात्र नहीं है

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

क्रमशः---8

इसलिए वह विवादित आराजी में किसी प्रकार का कोई हुक्म प्राप्त करने की भी अधिकारी नहीं है। इसलिए यह तनकीह भी वहक प्रतिवादीगण विरुद्ध वादिया तय की जाती है।

तनकीह नम्बर 4 :- तनकीह नम्बर एक विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि दावा वादिया पोषणीय नहीं है। यदि यह दावा मातापीन एवं वादिया के मध्य दुरभि सन्धि करके किया गया हो तो इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह तनकीह भी विरुद्ध वादिया तय की जाती है।

तनकीह नम्बर 5 :- प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी सम्वत/वर्ष 2005 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रामराज पुत्र तेजसिंह हि० 1/4 साकिन धोलपुर सह० भू० वि० बैंक लि० शाखा राजाखेड़ा के नाम रहन दर्ज है।

उपरोक्त विवेचन से हम दावा साबित होना नहीं पाते हैं। इसलिए दावा खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादिया बाबत आराजी ख०नं० 433/1641 रकबा 4-03 बीघा स्थित ग्राम कोरर ?? साबित न होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली कौंसल सुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 13-6-2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)
राजाखेड़ा

2. ... आराजी में ...